

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तालीम  
में जारी हुए

11.9.17

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप,  
अनुपस्थित/ पीठार/ अधिकारी  
दोरे फ/ अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्व आपका हुतार आईन्दा  
दिनांक 20.11.17 को पेश हो

20-11-17

~~पत्रावली पेश की~~ पत्रावली भज पेश हुई।  
कानून (21/11/17)  
~~दिनांक 15-11-17 को पेश हो~~  
दिनांक 15-11-17 को पेश हो

15-1-18

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप,  
अनुपस्थित/ पीठार/ अधिकारी  
दोरे फ/ अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्व आपका हुतार आईन्दा  
दिनांक 12-2-18 को पेश हो

12-2-18

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप,  
अनुपस्थित/ पीठार/ अधिकारी  
दोरे फ/ अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्व आपका हुतार आईन्दा  
दिनांक 15-4-18 को पेश हो

19/18

पत्रावली पेश की गई। पीठार/ अधिकारी  
दोरे फ/ अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्व आपका हुतार आईन्दा  
दिनांक 28/6/18 को पेश हो

09/18

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप,  
अनुपस्थित/ पीठार/ अधिकारी  
दोरे फ/ अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्व आपका हुतार आईन्दा  
दिनांक 23/11/18 को पेश हो

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज


19

07/03/19

कार्यवाही पेशी केने पर  
पत्रावली पेश हुई। वकीलाने स्पष्ट  
अर्थात् पेशी के अति लंबी  
पत्रावली पेश करने में अस्वार्थ।  
पत्रावली पेश करने के बाद आइन्दा  
दिनांक 23/05/19 को पेश हो  
गया

02/04/19

अर्थात् चन्दन पुत्र रामू जाति गुरुपट निवासी मकान (पुठ)  
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. द्वारा जीये  
वकील अर्चना पत्र मिलत तलवी पेश करने पर  
पत्रावली नियत पेशी दिनांक से पूर्व उजाज तलब  
की गई। वकील अर्चना ने अर्चना पत्र अस्वार्थ  
निषेधाज्ञा विद्वा पेश कर निवेदन किया कि उनका  
उज्जल के दावे में अर्चना व अजाबगिरी के मध्य  
पूर्व में राजीनामा हो चुका है। अर्चना उक्त अर्चना  
पत्र अस्वार्थ निषेधाज्ञा में उज्जल कोई कार्यवाही  
करनी चाहता है। अतः अर्चना पत्र स्वीकार कर  
अस्वार्थ निषेधाज्ञा विद्वा की अनुमति उदान कोर्ट  
वकील अर्चना का अर्चना पत्र न्यायक्षेत्र में स्वीकार  
किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया  
जाकर अर्चना पत्र अस्वार्थ निषेधाज्ञा विद्वा की  
अनुमति उदान की जाती है। पत्रावली में उज्जल  
कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। कार्यवाही उज्जल  
दली स्तर पर प्रेषित किया जाता है। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर निम्ब्वार से कम हो तथा  
बाद तलमील दाखिल इफ्तल हो। निर्णय उज्जल  
न्यायालय में सुनाया गया



सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला